न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 06/23(223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/71

<u>उनवान</u>

कशमीर पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील डीग।

______________अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील डीग।

______________रैस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 05.01.2023 मि.नं. 88/2020 उनवानी कशमीर बनाम सरकार।

उपस्थिति:–

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता वकील अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध रैस्पों0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र मे अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 396/0.56 वाके ग्राम खोह तहसील डीग मे स्थित है। गत आराजी खसरा नम्बर 2257/1–12 बीघा, 2258/1–8 बीघा, 2260/1–4 बीघा, 2261/0–7 बीघा, वाके ग्राम खोह तहसील डीग, रामलाल पुत्र मोरीलाल जाति खत्री की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसे वादी ने उक्त रामलाल पुत्र मोरीलाल से सन् 1975 में यानि हाल बन्दोबस्त से पूर्व जरे दय अदा कर क्रय कर लिया और वादी उक्त आराजी पर मुताबिक बयनामा काबिज हो गया। उक्त विक्रेता/खातेदार रामलाल पुत्र मोरीलाल वादी के पक्ष में विवादित आराजी सम्बन्धित सभी हक त्यागकर कुछ वर्ष बाद लावल्द बिला औरत फौत हो गया। जिसके बाद उक्त आराजी विरासतन रामलाल पुत्र मोरीलाल के भाई लट्टाराम के पुत्र मनोहरलाल एवं पुत्री इन्दिरा देवी के नाम बतौर वारिस राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गयी। जिस पर वादी ने उक्त मनोहरलाल व इन्दिरा देवी से गत खसरा नम्बर को उनके ताऊ रामलाल पुत्र मोरीलाल से पूर्व में ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सन् 1975 में क्रय करने के बारे में बताया तो उन्होनें दिनांक 31.05.2000 एवं 19.12.2000 को दो पृथक–पृथक वयनामा वादी के पक्ष में उक्त गत खसरा नम्बरान से बने नवीन खसरा नम्बर 309/0.30, 310/0.40 वाके ग्राम खोह तहसील डीग का सब रजिस्ट्रार डीग ने तहरीर/तस्दीक किया गया। वादी द्वारा सन् 1975 में गत खसरा नम्बरान को क्रय करने के पश्चात् गत खसरा नम्बर 2258 के मध्य से डीग से सीकरी जाने वाली सडक ग्राम खोह से होकर बनाई गयी। जिससे गत खसरा नम्बर 2258 दो भागो में विभाजित हो गया तथा गत खसरा नम्बर 2258 का कुछ भाग डीग से सीकरी सडक निकलने से सडक के दक्षिण की तरफ शेष रहा तथा शेष भाग सडक के उत्तर की ओर स्थित रहा। उक्त दोनों हिस्सो पर वादी वहैसियत खातेदार काश्तकार लगातार काबिज रहा। उक्त सडक निकलने के पश्चात् तहसील डीग में बंदोबस्त की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर बंदोबस्त विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 2257/1–12, 2258/1–8 बीघा कुल रकवा 3 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 310/0.40 कायम किया गया। जिसमें वादी के गत खसरा नम्बर 2258 के शेष भाग जो सडक के दक्षिण की तरफ रहा को गलत तरीके पर विवादित खसरा नम्बर 396/0.56 किस्म गैर मु0 रास्ता में शामिल कर दिया और प्रतिवादी राजस्थान सरकार के नाग गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 396/0.56 वाके ग्राम खोह तहसील डीग में से रकवा 8/56 जो डीग से सीकरी जाने वाली सडक के वतरफ दक्षिण भिडा हुआ है का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः वहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट आराजी खसरा नम्बर 396/0.56 में से रकवा 8/56 का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट की एक झौंपडी व टीनशैड डाला हुआ है एवं अपीलाण्ट काबिज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के रकवा 8 एयर को रास्ते की भूमि मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपीलाधीन निर्णय में नहीं की गयी है। अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 396/0.56 में से रकवा 8 एयर का खातेदार दर्ज किये जाने से मौके पर चालू रास्ता पर कोई प्रभाव नहीं पडता है, मौके पर रास्ता अपीलाण्ट के रकवा 8 एयर से अलग है जो कि मौके पर स्पष्टतया प्रदर्शित है। इसके अलावा अपीलाण्ट का वाद धारा 16 के प्रावधानो के अंतर्गत भी नहीं आता है। तनकी संख्या 3 को साबित करने के लिये प्रतिवादी/रैस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज कयासो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 396/0.56 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग में से रकवा 8/56 का स्वयं को खातेदार घोषित करने का दावा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित चार तनकियों कायम की गयी हैं। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 396 रकवा 0.56 है0 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं राज0 सरकार के रिकार्ड में दर्ज है। अतः विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आने के कारण उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इसके अलावा अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल, साविक जमाबन्दी आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे विवादित आराजी के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा की छायाप्रति से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जरिये वयनामा खसरा नम्बर 309 रकवा 0.30 है0 व 310 रकवा 0.40 है0 क्रय किया गया है। उक्त खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साविक खसरा नम्बर 2260 रकवा 14 विस्वा, 2261 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 309 रकवा 0.30 है0 व साविक खसरा नम्बर 2257 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा व 2258 रकवा 01 बीघा 8 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 310 रकवा 0.40 है0 बनाया गया है, जो कि वर्तमान में वादी/अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि में है। अपीलाण्ट खसरा नम्बर 2258 के बीच में से 1980 में डीग से सीकरी तक रोड निकलने के कारण 2 खेत बनना बताते हैं व सैटलमेण्ट द्वारा 310 व 396 खसरा नम्बर बनना व सडक के दूसरी ओर अपनी 8 एयर भूमि हाल खसरा नम्बर 396 में जाना व उक्त भूमि में अपना कुँआ, झौपडी व टीनशैड होने के कारण कब्जा होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य प्रभावहीन हैं। मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पातें हैं। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नये तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2023 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रुल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री परशुराम धानका (आर०ए०एस०)

अपील संख्या 06/23 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2023/71
उनवानी :–

1. कशमीर पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील डीग।

..........................अपीलांट।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील डीग।

.... रैसपोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 05.01.2023 मि.नं. 88/2020 उनवानी कशमीर बनाम सरकार।

यह अपील ....06............माह.....06...............सन्...2023............व हमारे .....श्री अनिल कुमार गुप्ता वकील अपीलाण्ट एड. ..... , मिनजानिब अपीलाण्ट ,रैसपोडेण्ट अनुपरिथत समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.01.2023 यथावत रखे जाते है।
(खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.............) रूपये..................
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.......06..........माह.........06........सन्..........2023........को जारी की गई।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।